भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1941

उत्तर देने की तारीख : 14.12.2023

तमिलनाडु में 'एस्पायर' योजना

1941. श्री ए. गणेशमूर्ति :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विगत चार वर्षों के दौरान देश में एमएसएमई उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विशेषकर तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या कठम उठाए गए हैं;

(ख) तमिलनाडु में नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन योजना (एस्पायर) के अंतर्गत शुरू की जा रही परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रशिक्षित, मजदूरी के आधार पर नियोजित और स्व-नियोजित लाभार्थियों की संख्या कितनी है; और

(घ) तमिलनाडु में इन्क्यूबेशन केंद्रों का योजना-वार ब्यौरा और सूची क्या है और उनकी उपलब्धियां क्या हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) : सरकार **तमिलनाडु राज्य सहित** पूरे देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के संवर्धन, विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि के लिए विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और पहलों का कार्यान्वयन करती है। यह योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, इसमें निधि राज्य/संघराज्य क्षेत्र-वार आंवटित नहीं की जाती है, विगत चार वर्षों के दौरान सरकार ने **तमिलनाडु राज्य सहित** पूरे देश में एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए कई पहलें की हैं। इनमें शामिल हैं:

(i) एमएसएमई सहित व्यवसाय के लिए 5 लाख करोड़ रुपए की आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना।

(ii) आत्म निर्भर भारत निधि के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन।

(iii) निवेश के संवर्धन हेतु एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए संशोधित मानदंड।

(iv) 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं होगी।

(v) दिनांक 01.07.2020 से व्यवसाय की सुगमता के लिए एमएसएमई हेतु उद्यम पंजीकरण।

(vi) एमएसएमई के शिकायत समाधान और हैंडहोल्डिंग सहायता सहित ई-गवर्नेंस के कई पहलुओं को कवर करते हुए जून, 2020 में एक ऑनलाइन पोर्टल चैम्पियन्स की शुरुआत की गई है।

(vii) दिनांक 02.07.2021 से खुदरा और थोक व्यापारों का एमएसएमई के रूप में समावेशन।

(viii) एमएसएमई की स्थिति में स्तरोन्नयन परिवर्तन के मामले में 3 वर्षों के लिए कर-विहीनता का लाभ विस्तारित कर दिया गया है।

(ix) अगले 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एमएसएमई के कार्यनिष्पादन में संवृद्धि और गतिवर्धन (रैम्प) कार्यक्रम का कार्यान्वयन।

(x) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण (पीएसएल) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाने के लिए दिनांक 11.01.2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) की शुरुआत की गई है।

(xi) जैसा कि बजट 2023-24 में घोषणा की गई थी कि क्रेडिट की घटती लागत रखते हुए 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त क्रेडिट की सुलभता के लिए सीजीटीएमएसई के कोष में 9,000 करोड़ रुपए का समावेशन किया गया है।

(ख) से (घ): नवोन्मेष, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता के संवर्धन की योजना (एस्पायर), योजना के तहत दिनांक 05.12.2023 तक तमिलनाडु राज्य में कुल छह आजीविका व्यावसायिक इन्क्यूबेटर (एलबीआई) और एक प्रौद्योगिकी व्यावसायिक इन्क्यूबेटर (टीबीआई) को अनुमोदित किया गया है। तमिलनाडु राज्य में परियोजनाओं की उपलब्धियों और स्थिति के साथ-साथ एलबीआई और टीबीआई का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

एस्पायर के तहत प्रशिक्षित लाभार्थियों, पारिश्रमिक आधार पर रोजगार, स्व-नियोजित लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुबंध-II** में दी गई गई।

****

अनुबंध-I

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 81 जिसका उत्तर दिनांक 11.12.2023 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (ख) और (घ) में संदर्भित अनुबंध-I

दिनांक 05.12.2023 अनुसार तमिलनाडु राज्य में 6 आजीविका व्यवसायिक इन्क्यूबेटर (एलबीआई) और 1 प्रौद्योगिकी व्यवसायिक इन्क्यूबेटर (टीबीआई) को अनुमोदन मिला है।

(i) आजीविका व्यवसायिक इन्क्यूबेटर (एलबीआई): दिनांक 05.12.2023 तक परियोजनाओं की उपलब्धियों और स्थिति के साथ तमिलनाडु राज्य में एलबीआई और टीबीआई का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	घटक	कार्यान्वयन एजेंसी	प्रमुख क्षेत्र/परियोजना क्षेत्र	प्रशिक्षुओं की संख्या		
				प्रशिक्षु (उत्तीर्ण हुए)	प्रशिक्षु (अन्य इकाइयों में रोजगार रत)	प्रशिक्षु (स्व-नियोजित)
1.	एलबीआई-सरकारी	एनएसआईसी-तकनीकी सेवाएं केंद्र, चैन्नै, तमिलनाडु	टमाटर केचअप प्रसंस्करण, बेकरी, पैकेजिंग, 3डी प्रिंटिंग और स्कैनिंग	3,989	442	206
2.	एलबीआई-सरकारी	कैंयर बोर्ड, क्षेत्रीय विस्तार केंद्र, कैंयर बोर्ड, तंजावुर, तमिलनाडु	कैंयर आधारित बहु उत्पाद	576	0	33
3.	एलबीआई-पीपीपी	एनआईएफटी-टीईए निटवियर फैशन संस्थान, तिरुप्पुर, तमिलनाडु	वस्त्र और परिधान	1,909	1,271	240
4.	एलबीआई-सरकारी	भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएफपीटी)/राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम), तंजावुर, तमिलनाडु	खाद्य प्रसंस्करण, पेय प्रसंस्करण	1,332	489	376
5.	एलबीआई-सरकारी	एमएसएमई-टीडीसी (पीपीडीसी) विस्तार केंद्र, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	कृषि-ग्राम्य अपशिष्ट से दौलत-कृषि, वस्त्र और सौर पीबी	298	101	65
6.	एलबीआई-निजी	सलाहकार(मेंटर) संस्थान: ईडीआईआई, अहमदाबाद मेजबान संस्थान: क्रेसेंट इनोवेशन और इन्क्यूबेशन परिषद	खाद्य प्रसंस्करण	कार्यान्वयन के अधीन		
			कुल	**8,104**	**2,303**	**920**

(ii) प्रौद्योगिकी व्यवसायिक इन्क्यूबेटर (टीबीआई): दिनांक 05.12.2023 अनुसार तमिलनाडु राज्य में अनुमोदित प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेटर (टीआरईसी-स्टेप) द्वारा स्टार्ट-अप्स/परियोजनाओं को प्रदान की गई सहायता का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	स्टार्ट-अप का नाम	उद्योग/क्षेत्र	उत्पाद/सेवाएं
1.	स्टरडियन टैक्नोलॉजी प्रा. लिमेटेड	स्वास्थ्य संबंधी	स्वास्थ्य से संबंधित उत्पाद
2.	प्रगति बॉयोटेक	कृषि	समुद्री शैवाल से कप्पा करीगनन जैल का निकास
3.	सोलर इंस्पैक्ट ट्रैप सैफ्स	कृषि	'कीट-प्रकाश-ट्रेप' – एकीकृत कीट प्रबंधन उपकरण
4.	लरनिंग्रो	कृषि	पावर बुलक – स्टेबल मिनि ट्रैक्टर
5.	नासेल	कृशि	जल रहित स्टार्च का निष्कर्षण-सागो उत्पादन प्रणाली
6.	नैचुरल बेवरेजेस	कृषि	हर्बल से भरपूर फल पेय
7.	प्योर टैक इंडिया	कृषि	कृषि के लिए भूजल का लागत प्रभावी प्रशोधन
8.	फ्रिगोस्कैन	कृषि	फलों और सब्जियों के लिए ऑन-लाइन प्री-चिल्लर
9.	कान्नन एग्रो	कृषि	वर्धित तेल निष्कर्षण के लिए बहु उपयोगी घूर्णक
10.	कटर एंड स्लाईसर	कृषि	कटर स्लाईसर डायसर
11.	नैचुरल बाऊल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	कृषि	आईओटी हार्डवेयर से नारियल फार्मिंग
12.	बालाराम एग्रो	कृषि	हाथ की निराई वाले उन्नत यंत्र (गतिमान)
13.	वेंकदाचल्लापथी इंडस्ट्रीज एंड हार्डवेयर्स	कृषि	बिजली चालित उत्तम-हल्दी के लिए कृषि यंत्र

अनुबंध-II

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 81 जिसका उत्तर दिनांक 11.12.2023 को दिया जाना है, के भाग (ख) से (घ) तक के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-II

एलबीआई के तहत लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभान्वितों की संख्या		
		प्रशिक्षित की संख्या	वेतन रोजगार-रत की संख्या	स्व-नियोजित की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	1,562	208	157
2.	असम	1,719	28	377
3.	बिहार	7,229	272	2,207
4.	छत्तीसगढ	733	59	35
5.	दिल्ली	2,773	311	390
6.	गुजरात	6,367	1,010	369
7.	हरियाणा	6,943	135	1,013
8.	हिमाचल प्रदेश	246	0	40
9.	जम्मू और कश्मीर	275	9	4
10.	झारखंड	218	0	5
11.	कर्नाटक	938	244	1
12.	केरल	4,456	1,259	636
13.	मध्य प्रदेश	4,433	1,897	903
14.	महाराष्ट्र	8,214	623	1,589
15.	मणिपुर	6,927	582	4,717
16.	मेघालय	1,584	15	445
17.	मिजोरम	1,369	243	293
18.	नागालैंड	526	0	220
19.	ओडिशा	3,562	93	124
20.	पुडुचेरी*			
21.	राजस्थान	2,019	218	110
22.	सिक्किम	445	47	30
23.	तमिलनाडु	8,104	2,303	920
24.	तेलंगाना	6,331	1,059	771
25.	उत्तर प्रदेश	12,651	897	2,515
26.	उत्तराखंड	3,704	400	573
27.	पश्चिम बंगाल*			
	कुल	**93,328**	**11,912**	**18,444**

* कार्यान्वयन के अधीन